

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2023-59

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी
बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ मुकदमा
श्री अकानी ठिठ बनाम अश्वती लाल
 किस्म मुकदमा प्र. प्र 128 सन् 36/23

तारीख हुकम	हुकम का कार्यवाही का विवरण जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p><u>3/5/23</u></p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>परबली</u>.....की ग्राम.....की = 121 ^{है} आ.न. <u>182 एक 0.54 अ.न. 490 0.67</u> <u>423</u> की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये <u>1500/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>श्री</u> उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	

